निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 518) पटना, मंगलवार, 18 जून 2024

सं० 08/आरोप–01–03/2024 सा0प्र0—6232
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
18 अप्रील 2024

श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–362/11, (578/08) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज, मधेपुरा, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1038 दिनांक 20.08.2008 एवं पत्रांक–1023 दिनांक 14.08.2008 द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

प्रतिवेदित आरोपों की जाँच के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7772 दिनांक 10.08.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11485 दिनांक 13.10.2011 द्वारा (i) पाँच वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड (ii) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

श्री कुमार द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जी0सी0 संख्या 10078/2012 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

".....Therefore, the punishment order dated 13.10.2011 as contained in Anneuxre-24 is quashed. The respondents are directed to start a fresh proceeding in accordance with law, after following the Principle of Natural Justice, supplying the copy of statement of witnesses and giving opportunity of cross examination of witnesses in accordance with Rule/Law and conclude the same within a period of six months from the date of receipt/production of the copy of this order.

The writ application is allowed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध एल०पी०ए० दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका विधि विभाग, बिहार, पटना को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग द्वारा विषयांकित मामले में एल०पी०ए० दायर नहीं करने का परामर्श दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.01.2024 को पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार से संबंधित दंडादेश विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11485 दिनांक 13.10.2011 को वापस लिया जाता है। साथ ही न्यायादेश के अनुरूप श्री सुनील कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–362/11, (578/08) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज, मधेपुरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 बी० के तहत आरोपों की पुनः नये सिरे से जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है। इस विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।

यह मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से आच्छादित है, जिसमें छः माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही को पूरा करने का आदेश है।

श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 518-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in